



**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
**(उ०प्र० सरकार का उपकम)**  
**शक्ति भवन, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ**  
**CIN : U32201UP1999SGC024928**

संख्या: 27-अ०प्र०(३) / पा०का०लि० / 2015

दिनांक: 31 मार्च, 2015

**कार्यालय ज्ञाप**

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ताओं (वै० एवं यां०) को मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-०४ में उल्लिखित निगम को आबाण्टि त किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभियो संख्या/गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै०एवं यां०) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबाण्टि त निगम
1	2	3	4
1.	श्री राकेश कुमार वर्मा 81182, मीरजापुर, 30.06.2015	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण एवं परिकल्पना मण्डल, लखनऊ	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ
2.	श्री अशोक सक्सेना 81183, फर्रुखाबाद, 30.09.2017	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, आगरा	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
3.	श्री अशोक कुमार सिंह चौहान 81188, मैनपुरी, 30.06.2015	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, केरको, कानपुर	मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ
4.	श्री बृजेश सिंह गंगवार, (पिछड़ी जाति), 81197 फर्रुखाबाद, 31.08.2017	अधीक्षण अभियन्ता, सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक, दविविनिल आगरा	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा

2— उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3— आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्थीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4— उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5— नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-५९१०-गोपन/पाकालि(०६)-२००१ दिनांक 11-६-२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6— उपरोक्त को मुख्य अभियन्ता, स्तर-२ (वै० एवं यां०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि किन्हीं कारणोंवश निदेशक के पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की मूल पद(मुख्य अभियन्ता, स्तर-२) पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता के पद पर स्वतः प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

*मीरजापुर*


प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 27-अप्र०(23) / पा०का०लि० / 2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०वर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि० / उ०प्र०पा०ट्रा०न्समिशन का०लि०।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

  
( सुवोर कुमार शर्मा)  
उप सचिव (23)